Demand for adequate supply of kerosene oil to the State of Gujarat

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर (गुजरात) : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान गुजरात राज्य को इनके मंत्रालय द्वारा आंबटित मिट्टी के तेल की आपूर्ति हेतु अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

राज्य के मिट्टी के तेल के केन्द्रीय पूल से आबंटित आपूर्ति में भारी कटौती कर दी गई है। मई, 2011 तक प्रति माह 76710 किलो लीटर मिट्टी का तेल केन्द्रीय पूल से आबंटित किया जा रहा था, जिसमें 32 प्रतिशत तक की भारी कटौती कर दी गई है। जून, 2011 माह के लिए 52020 किलो लीटर मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है और इस कटौती के संदर्भ में कोई उचित कारण नहीं दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा गैर गैस 84 लाख राशनकार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 2 लीटर और अधिक से अधिक 12 लीटर प्रति कार्ड मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जाती थी, जिसके अंतर्गत आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा रहा था।

उपसभापति महोदय, इस भारी कटौती की वजह से नागरिक आपूर्ति व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाएं, जो सिर्फ मिट्टी के तेल से घर का चूल्हा जला रही थीं, उन्हें अब काफी हद तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

स्थिति से अवगत करवाने के संबंध में, राज्य के मुख्य सचिव ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव को अपने शासकीय पत्रांक KSN/1020/0/18B, दिनांक 01.06.2011 के जरिए राज्य के साथ हो रहे अन्याय और साथ ही साथ की गई 32 प्रतिशत कटौती को वापस लेने हेतु सूचित किया था।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है और मांग है कि वे स्वयं इस दिशा में हस्तक्षेप करें और राज्य को पुनः प्रति माह 76710 किलो लीटर मिट्टी का तेल आबंटित करने का कार्यालय-आदेश जारी करें, ताकि प्रदेश की गरीब जनता को सस्ते दामों पर ईंधन उपलब्ध कराया जा सके, जो कि राष्ट्र के हित में है।

श्री **रुद्रनारायण पाणि** (उड़ीसा) : महोदय, माननीय सदस्य ने जो विशेष उल्लेख रखा है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं।

Demand to conduct public hearings on the Indira Sagar Polavaram Project on river Godavari in Orissa and Chhattisgarh

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO (Andhra Pradesh): Sir, the Indira Sagar Polavaram Project is situated on river Godavari in Polavaram Mandal, West Godavari District. The States of Orissa and Chhattisgarh are not accepting the submergence of the land and those areas are proposed to be protected by forming embankments. The Expert Appraisal Committee for River Valley and Hydro Electric Projects requested the project proponent to undertake public hearing in Orissa and Chhattisgarh. The project authorities in Andhra Pradesh requested Orissa and Chhattisgarh State Pollution Control Boards to organize the hearings within their jurisdictions.

The Ministry of Environment and Forests has been informed of this and also of the inaction by Orissa and Chhattisgarh. However, the Ministry of Environment and Forests has asked the Government of Andhra Pradesh reasons for not holding public hearings. Meanwhile, as per the orders of the Supreme Court, an expert committee, headed by former member of the Central Water Commission (CWC), visited the dam site and submitted report to the court on June 14, 2011. The committee, in its report, said that the construction of the Polavaram Dam was in conformity with the Godavari Water Disputes Tribunal award and the approved project plan. The Supreme Court granted time to Orissa and Chhattisgarh Governments to react on the above report.

In a federal set up like ours, every State has specific boundaries and one State cannot enter into the jurisdiction of another State and conduct public hearings. I, therefore, request the Central Government to take initiative and ask those States to conduct the public hearings at the earliest so that the project may commence. Thank you.

Demand to give financial assistance to families of martyrs of independence struggle of the country

डा. राम प्रकाश (हरियाणा) : उपसभापति महोदय, भारत ने अविस्मरणीय बलिदान देकर स्वतंत्रता प्राप्त की है। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के सम्मानार्थ पेंशन आदि देने का सराहनीय कार्य किया है, परंतु फांसी के फन्दे को चूमने वाले तथा रक्त रंजित संघर्ष करने वाली राष्ट्रीय विभूतियों के कुछ वंशज दयनीय स्थिति में वक्त काट रहे हैं। आज भी शहीद ऊधमसिंह का पोता, सरदार जीत सिंह, सिर पर ईंटें ढोने पर मजबूर है, बहादुरशाह ज़फर की प्रपौत्रवधू चाय बेच रही है। इसी दिल्ली में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की क्रांतिकारी बहन चाय बेचते-बेचते स्वर्ग सिधार गई थी। चन्द्रशेखर आज़ाद की पूज्य माता के प्रति भी हम अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पाए। एतदर्थ मेरा सरकार से अनुरोध है कि 1857 के प्रथम संग्राम से लेकर अगस्त 1947 तक बलिदानी वीरों के विस्मृत वंशजों का सर्वे करके पता लगाया जाए। उन्हें राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। उनमें से जिनके पास अपना मकान नहीं है और आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है, एक बार उनके लिए मकान की व्यवस्था की जाए और उनके किसी वंशज को सरकारी नौकरी दी जाए। उनकी बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग किया जाए, राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजित समारोहों में उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया जाए और कृतज्ञ राष्ट्र उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाए।

श्री रामचन्द्र खूंटिया (उड़ीसा) : उपसभापति महोदय, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : सर, मैं अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री सैयद अज़ीज़ पाशा (आन्ध्र प्रदेश) : सर, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।

جناب محمد ادیب (اتر پردیش) : سبھا پتی جی، میں اس وشئے کے ساتھ ایسوسی ایٹ کرتا ہوں۔

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।